झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

संख्या :–को0ख0–01/06–   /एम0, राँची, दिनांक

सेवा में,

उपायुक्त,
लातेहार।

विषय :– लातेहार जिलान्तर्गत लगभग 23.58 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र पर सर्वश्री तेनुघाट विद्युत निगम लि0 को राजवार ई0 एण्ड डी0 कोल ब्लॉक के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 518/खनन, दिनांक 21.05.2008

आदेश :– निम्नांकित शर्त्तों एवं बंधेजों पर सर्वश्री तेनुघाट विद्युत निगम लि0 को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

I. क्षेत्रफल :– 23.58 वर्ग कि0मी0

II. खनिज :– कोयला

III. अवधि :– 3 (तीन) वर्षों के लिए।

IV. पूर्वेक्षण शुल्क :– खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 14(1) के अनुसार प्रतिवर्ष अथवा उसके अंश के लिए 10.00 रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से।

V. प्रतिभूति राशि :– 250.00 (दो सौ पचास) रूपये प्रथम वर्ग कि0मी0 या उसके अंश के लिए तथा अतिरिक्त वर्ग कि0 मी0 के लिए 50.00 (पचास) रूपये प्रति वर्ग कि0मी0 की दर से।

VI. खनिज विश्लेषण के लिए बिना किसी भुगतान के अनुज्ञप्तिधारी 10 (दस) टन कोयला ले जा सकते हैं।

VII. अनुज्ञप्तिधारी पूर्वेक्षण के दौरान खनिजों के उक्त मात्रा से अधिक किन्तु 200.00 (दो सौ) टन से अधिक नहीं, वाणिज्य से भिन्न प्रयोजन हेतु अग्रलिखित दर पर स्वामिस्व की भुगतान कर ले जा सकते हैं।

a) कोयला :– भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर लिए गए दरों के निर्णयानुसार।

VIII. रसायनिक मेटलर्जिकल ओर ड्रेसिंग तथा अन्य जाँच प्रतिवेदन हेतु राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन से अनुज्ञप्तिधारी कंडिका (VII) में

Rajesh Ranjan
Elect. Supdt. Engineer
T.V.N.L Ranchi
Dated-28.08.2023

अंकित मात्रा से दोगुना से अधिक मात्रा में खनिज उक्त (VII) के अनुसार स्वामिस्व का भुगतान कर ले जा सकते हैं।

परन्तु स्वामिस्व के उपर्युक्त दर में समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमानुसार परिर्वतर होग।

IX. अनुज्ञप्तिधारी को मिनरल कंजरभेशन एवं डेवलपमेंट रूल्स, 1958 के नियम (21) के अनुसार योग्यता प्राप्त खनन अभियंता अथवा भूतत्वेत्ता की नियुक्ति अनिवार्य करनी होगी।

X. अन्य शर्त्तें माईन्स एण्ड मिनरल (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 1957 तथा मिनरल कंसेसन रूल्स, 1960 के प्रावधानुसार होगी।

XI. पूर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने के पूर्व रैयतों को नियमानुसार उचित मुआवजा दे कर उनकी सहमति से पूर्वेक्षण करेंगे।

XII. अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमावली के नियमों के उल्लेखित प्रावधानों के रहते हुए भी राज्य सरकार भुगतान के लिए निर्धारित तिथि से 60 दिन व्यतीत हो जाने के दिन से बकाए स्वामिस्व लगान या शुल्क पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज तब तक चार्ज कर सकती है तक तक बकाए का भुगतान नहीं हो जाता है।

XIII. अनुज्ञप्तिधारी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा।

XIV. अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृति पूर्वेक्षण क्षेत्र या राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट–स्थान में पूर्वेक्षण के दौरान नष्ट वृक्षो की दुगनी संख्या में वृक्षारोपण करना होगा अथवा नष्ट वन सम्पतियों के स्थान के साथ अपने खर्च पर राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार करना होगा। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अनुपालन करना होगा।

XV. अनुज्ञप्तिधारी हर माह अपनी प्रगति से संबंधति प्रतिवेदन सरकार को उपस्थापित करेंगे।

XVI. पूर्वेक्षण कार्य करने के दौरान किसी प्रकार कार्य से संबंधित प्रगति / व्यवधान अथवा कार्य में परिवर्तन की दशा में तत्संबधी सूचना / प्रतिवेदन सरकार को देना होगा।

XVII. पूर्वेक्षण कार्य करने के उपरांत उसका अंतिम प्रतिवेदन जिसमें पाए गए खनिज की अनुमानित मात्रा, खनिज की गुणवत्ता एवं अन्य संबंधित खनिजों की उपलब्धता उसके परिमाण के साथ एक विस्तृत सम्यक,

Rajesh Ranjan
Elect. Suptd. Engineer
T.V.N.L. Ranchi
Dated-28.08.2023

(18) (19) (18)

प्रवितेदन नक्शे में दर्शाते हुए सरकार को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

XVIII. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र–5-3/2007-FC दिनांक 16.12.2008 का अक्षरशः पालन करना होगा।

"Prospecting of any Mineral done under prospecting license granted under MMDR Act, which requires collection removal of samples from the forest land would be a stage between survey & investigation and grant of mining lease and as such permission under Forest Conservation Act, 1980 would be required However in case of metallic ores – test drilling up to 20-25 boreholes of maximum 4" dia per 10 Sq. Km and in case of coal and lignite (non-metallic ores) to test drilling up to 15 boreholes of maximum 4" dia per 10 Sq. Km. for open cast mining and the test drilling up to 20 boreholes of maximum 4" dia per 10 Sq. Km. for under ground mining for prospecting exploration or reconnaissance operations without felling of trees shall not attract the provisions of the Act, In all other cases involving more number of drilling of boreholes prior permission of Central Government under the Act, would be required."

XIX. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र- 13016/23/2006-CA-I दिनांक 02.08.2006 में लगाये गये शर्त्तो का अक्षरशः पालन करना होगा :–

In principle approval of the Central Government to the working of Rajbar E&D coal block by M/s Tenughat Vidyut Nigam Limited (TVNL) under the Government Company dispensation in pursuance of Section 3(3)(a)(i) of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 subject to the following conditions : -

Rajesh Ranjan
Elect. Suptd. Engineer
T.V.N.L Ranchi
Dated-28.08.2023

i) Coal Mining shall be carried out by M/s TVNL or a separate company to be created with participation of M/s TVNL provided that the separate created company is a Government company eligible to do coal mining as per the provisions of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

ii) The allocatee will do coal mining in accordance with the

provisions of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, all the mineral, environmental and labour laws alongwith other regulations governing coal industry.

iii) The allocatee would do mining of coal from the allocated block in accordance with a mining plan approved by the Central Government.

iv) The mining lease will be executed between the State Government and the allocatee as per the provisions of MMDR Act, 1957 and the rules framed thereunder.

v) The exploration of the coal block shall be done either through CMPDIL or under the direct supervision of CMPDIL. Prospecting license shall be applied for within three months of date of allotment and the detailed exploration shall be completed at the earliest. After the detailed exploration is completed the allocatee of the block shall proceed for ensuring earliest commencement of production. The milestone chart appended shall be adhered to. Any slippage could render this allocation liable for cancellation, and withdrawal of block from the allocatee.

vi) Whether the block could be operated as one mine or otherwise would be determined by the Central Government after the detailed exploration is completed, having regard to factors such as the interest of conservation, safety, deployment of optimal technology for optimal extraction of coal, mine capacity, the earliest commencement of production, etc.

vii) The existing coal linkage granted from CIL/SCCL would not be disturbed in any way with coal mined from Rajbar E & D block.

viii) Any violation for the conditions imposed above in mining and disposing of coal from the Ranbar E & D

(16) (17) (16)

coal block will render the mining lease for cancellation.

XX. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र – 17022/3/07-CRC दिनांक 29.08.2007 में दिये गये गाइड लाइन (प्रति अनुलग्नक) का अक्षरशः पालन करना होगा :–

a) The letters of allocation of these blocks generally provide that the detailed exploration is required to be carried out by Central Mine Planning and Design Institute Ltd. (CMPDI) or by the block allottees under the supervision of CMPDIL.

b) Ministry of Coal has now decided that all regionally explored/unexplored coal blocks already allotted or the be allotted can be taken up for detailed exploration by the allottees on their own as per the guidelines enumerated in the **Annexure** to the aforesaid Circular. CMPDIL will provide the coordinated boundary of the block.

c) The ensure adherence to the guidelines on coal exploration that would generate data to update the national resources inventory, on behalf of the Government CMPDIL is authorized to conduct random checks during the course of such exploration activities. During the course of the checks or in case any incongruity is detected in the Geological Report (GR) or in any other form by any of the above agencies, the agencies can have additional boreholes drilled along with core analysis etc. and all necessary data analysed at the cost of the block allottee to cross check the available information. It is expected that such requirement conformity horeholes would arise when about 80 percent of the exploratory boreholes have been completed. As such, the block allottees would be free to get in touch with these agencies and get the conformity boreholes done, if required, under the supervision of the agency. Such boreholes can also be a part of their programmed exploration boreholes.

Rajesh Ranjan
Elect. Suptd. Engineer
T.V.N.L Ranchi
Dated-28.08.2023

d) The block allottees are required to inform and submit to CMPDI the detailed exploration programme with time schedules before starting the exploration activities. A quarterly report as may be prescribed by CMPDIL on

(15) (16) (15)

status of exploration is also to be submitted indicating meterage drilled, number of boreholes completed with depth and general seam characteristics that have been encountered.

XXI. वन क्षेत्र में कार्य करनें के पूर्व भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.12.2008 में अंकित अधिसीमा शर्त्तों के अनुरूप वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।

XXII. यह अनुज्ञप्ति विलेख झारखण्ड राज्य के लातेहार जिले में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधान के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाता है। अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त और अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य सरकार के बीच संबंध के बाबत सभीं विषयों के बारे में किसी विवाद की दशा में या आवेदन लातेहार व्यवहार न्यायालय या विहित नीलाम पत्र न्यायालय में तथा याचिका उच्च न्यायालय, राँची में दायर की जायेगी और यह स्पष्ट रूप से एकरार किया जाता है कि कोई पक्ष उक्त न्यायालयों से निम्न किसी अन्य स्थान पर वाद या आवेदन पत्र दायर नहीं करेंगे।

XXIII. निष्पादित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति संविदा की तीन प्रतियाँ शीघ्र भेजी जाय।

XXIV. क्षेत्र का मानचित्र लौटाया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(एस0 के0 सोरेंग)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– को0ख0–01/06– 815/एम0, राँची, दिनांक 14-5-10

प्रतिलिपि :– सर्वश्री तेनुघाट विद्युत निगम लि0/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल/खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद/महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, खान, पलामू अँचल, मेदिनीनगर /जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Rajesh Ranjan
Elect. Suptd. Engineer
T.V.N.L Ranchi
Dated-28.08.2023